

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 429]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 27, 2013/भाद्र 5, 1935

No. 429]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 27, 2013/BHADRA 5, 1935

भारतीय रिज़र्व बैंक
(विदेशी मुद्रा विभाग)
(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 5 मार्च, 2013

विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2013

सा.का.नि. 573(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (जे) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 8/आरबी-2000) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2013 कहलायेंगे।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. विनियम में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.8/आरबी-2000) में, विनियम 4 में, उप-विनियम (2) में, खंड (ii) के बाद, निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात:—

"(iii)(ए) खुले प्रस्ताव (open offer)/सूचीबद्धता से हटे (delisting)/निकासी प्रस्ताव (exitst offer) के मार्फत किसी भारतीय कंपनी के शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों का अर्जन करने वाले भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति की ओर से भारत में कोई प्राधिकृत व्यापारी गारंटी दे सकता है, बशर्ते

(i) लेनदेन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों के भारी मात्रा में अर्जन और टेकओवर) [सेबी (एसएसटी)] विनियमावली के उपबंधों के अनुसार हो;

(ii) गारंटी किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित बैंक की काउंटर-गारंटी द्वारा कवर की गयी हो; और

(बी) गारंटी सेबी (एसएसटी)] विनियमावली के तहत यथा अपेक्षित आफर अवधि (tenure) की अनुरूप अवधि के लिए ही वैध होगी।"

[सं. फेमा.267/आरबी-2013]

रुद्र नारायण कर, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी : मूल विनियमावली, सरकारी राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में 5 मई, 2000 के सं. सा.का.नि. 391(अ) के जरिये प्रकाशित और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी:

(i) 19-08-2002 के सं. सा.का.नि. 575(अ)

(ii) 16-11-2004 के सं. सा.का.नि. 745(अ)

(iii) 09-2-2005 के सं. सा.का.नि. 61(अ)

(iv) 14-3-2007 के सं. सा.का.नि. 196(अ)

(v) 01-05-2009 के सं. सा.का.नि. 300(अ)

(vi) 01-05-2009 के सं. सा.का.नि. 298(अ)

(vii) 27-07-2010 के सं. सा.का.नि. 634(अ)

(viii) 21-12-2012 के सं. सा.का.नि. 914(अ)

(ix) _____ के सं. सा.का.नि. _____

(x) 21-12-2012 के सं. सा.का.नि. 917(अ)

(xi) _____ के सं. सा.का.नि. _____

RESERVE BANK OF INDIA
(Foreign Exchange Department)
 (CENTRAL OFFICE)
NOTIFICATION

Mumbai, the 5th March, 2013

Foreign Exchange Management (Guarantees) (Second Amendment) Regulations, 2013

G.S.R. 573(E).—In exercise of the powers conferred by clause (j) of sub-section 3 of section 6 and sub-section (2) of section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Guarantees) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA 8/RB-2000 dated May 3, 2000), namely :—

1. Short Title and Commencement :

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Guarantees) (Second Amendment) Regulations, 2013.
- (ii) They shall come into force from the date of publication in Official Gazette.

2. Amendment of Regulation—In the Foreign Exchange Management (Guarantees) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 8/RB-2000 dated May 3, 2000), in Regulation 4, in sub-regulation (2), after clause (ii), the following new clause shall be added, namely :—

"(iii)(a) An authorised dealer in India may give guarantee on behalf of a person resident outside India acquiring shares or convertible debentures of an Indian company through open offers/ delisting/ exit offers, provided

- (i) the transaction is in compliance with the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeover)[SEBI(SAST)] Regulations;
- (ii) the guarantee is covered by a counter guarantee of a bank of international repute; and

(b) the guarantee shall be valid for a tenure co-terminus with the offer period as required under the SEBI (SAST) Regulations."

[No. FEMA.267/ RB-2013]

RUDRA NARAYAN KAR, Chief General Manager-in-Charge

Foot Note : The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide No. G.S.R. 391(E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, Sub-Section (i) and subsequently amended *vide* :

- (i) No. G.S.R.575 (E) dated 19-8-2002
- (ii) No. G.S.R.745 (E) dated 16-11-2004
- (iii) No. G.S.R.61 (E) dated 9-2-2005
- (iv) No. G.S.R.196 (E) dated 14-3-2007
- (v) No. G.S.R.300 (E) dated 01-05-2009
- (vi) No. G.S.R.298 (E) dated 01-05-2009
- (vii) No. G.S.R. 634(E) dated 27-07-2010
- (viii) No. G.S.R. 914(E) dated 21-12-2012
- (ix) _____ dated _____
- (x) No. G.S.R. 917(E) dated 21-12-2012
- (xi) _____ dated _____.